पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

ACCREDITED BY NAAC WITH GRADE "A"

क्रमांक : 01 /अका./वि.प.स्थायी समिति/2020 रायपुर, दिनांक 10.08.2020

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 10.08.2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के बैठक–कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए –

1. प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति	–	अध्यक्ष
2. डॉ. (श्रीमती) माया वर्मा	–	सदस्य
3. डॉ. (श्रीमती) रीता वेणुगोपाल	–	सदस्य
4. डॉ. कल्लोल कुमार घोष	–	सदस्य
5. डॉ. (श्रीमती) प्रियंवदा श्रीवास्तव	–	सदस्य
6. डॉ. (श्रीमती) नंदा गुरवारा	–	सदस्य
7. डॉ. (श्रीमती) प्रीति के सुरेश	–	सदस्य
8. डॉ. संजय कुमार	–	सदस्य
9. डॉ. एस.के. जाधव	–	सदस्य
10. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	–	सदस्य
11. डॉ. गिरीशकान्त पाण्डेय, कुलसचिव	–	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

कार्यवृत्त :–

01. छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के आदेश क्र. एफ 3–33/2020/38–1 दिनांक 30.07.2020 के अनुसार कोविड–19 की महामारी के संक्रमण को देखते हुए विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षा सत्र 2019–20 के अंतिम वर्ष/अंतिम सेमेस्टर की सभी विषयों की परीक्षाएं यू.जी.सी. द्वारा दिनांक 06.07.2020 को जारी निर्देश के पालन के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **कोविड–19 महामारी के कारण परीक्षा आयोजन के संबंध में यू.जी.सी. के दिशा–निर्देश दिनांक 29.04.2020 एवं 06.07.2020 तथा राज्य शासन के आदेश क्र. एफ 3–33/2020/38–1, दिनांक 01.06.2020 एवं 30.07.2020 के दृष्टिगत परीक्षा अध्यादेश क्रमांक–5 में निम्नानुसार संशोधन की अनुशंसा की गई –**

क्र.	अध्यादेश कमांक	वर्तमान में प्रचलित प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन/नवीन प्रावधान	औचित्य
1	Ordinance No.5	Nil	22.In the event of exigency due to pandemic/national calamity, the Executive Council shall have power to temporary supersede the relevant provisions of this and other ordinances that govern the academic terms and conduct of	COVID-19 महामारी के अभूतपूर्व प्रकोप ने जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है और शिक्षा प्रणाली भी इसका अपवाद नहीं है। पूरे देश में कई महीनों से आंशिक अथवा पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति रही है, इसके कारण सेमेस्टर कक्षाओं का शिक्षण अचानक बंद करना पड़ा है साथ ही

			examinations, by making regulation after due consultation with Academic Council and following the guidelines of UGC and State Government issued for this purpose from time to time.	कई परीक्षाओं को भी स्थगित करना पड़ा है। महामारी के मद्देनजर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 29.04.2020 एवं 06.07.2020 को परीक्षाओं के संचालन के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किए हैं। तत्संबंध में उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन ने आदेश क्रमांक एफ–3–33 /0202/ 38–1, दिनांक 01.06.2020 तथा क्रमांक एफ–3–33 /0202/38–1, दिनांक 30.07.2020 के द्वारा आदेश प्रदान किया है। नवीन प्रावधान COVID-19 संक्रमण की स्थिति तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य शासन के उपर्युक्त आदेशों में उल्लेखित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित किया गया है।

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

10.8.20

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 02 /अका./वि.प.स्थायी समिति/2020 रायपुर, दिनांक 10.08.2020

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय/परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु अग्रेषित्।

10.8.20

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका)